सचिन जाना व अन्य

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

आपराधिक अपील संख्या 176/2008

दिनांकित 25 जनवरी, 2008

[माननीय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत व पी. सदाशिवम]

भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 307 सपठित धारा 34- पीड़ितों पर तेजाब डाला गया जिसके परिणामस्वरूप चेहरा विरूपण - दोषसिद्धि तहत 307 धारा व 10 साल की सजा सुनाई गई - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को 307/34 में बदल दिया - अपील में निर्धारित किया गया धारा 307 सपठित धारा 34 स्पष्ट रूप से लागू - विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सजा को घटाकर 5 साल कर दिया गया ।

धारा 34 - विशिष्ट विशेषताएँ- प्रतिपादित की गई धारा 307- दोषसिद्वी हेतु - आवश्यक आवश्यकताऐं, विवेचित की गई। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि सूचना देने वाला अभियोजन साक्षी-1 अपनी भूमि को जोत रहा था तब बीस व्यक्तियों ने अपीलार्थी सहित जो विभिन्न हथियारों से लैसे थे लात घूसे व लोहे की छड़ से हमला किया और उसके

चेहरे और शरीर पर तेजाब भी डाला अपीलकर्ताओं ने अभियोजन साक्षी संख्या 2 व 3 पर भी तेजाब डाला और अभियोजन साक्षी संख्या 1 को बचाने के लिए आगे आए एक अन्य व्यक्ति पर हमला किया। विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से अभियोजन साक्षी 1, 2 और 3 के साक्ष्य पर भरोसा किया जो पीडित थे और जो तेजाब डालने से पीडित थे और 14 व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषसिद्व करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 10 साल का कारावास के दंडादेश से दंडादिष्ट किया गया। अपील पर उच्च न्यायालय द्घारा अपीलार्थीगण से संबधित अपील को खारिज कर दिया गया लेकिन दोषसिद्घी को 307/34 भारतीय दंड संहिता में परिवर्तित कर दिया गया। इस न्यायालय में अपील होने पर अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 34 भारतीय दंड संहिता लागू नही होती है धारा 307 भी नही बनती है और आरोपित दंडादेश अत्याधिक है। इस न्यायालय द्घारा अपील को निस्तारित करते हुए निर्धारित किया गया।

1.1 धारा 34 भारतीय दंड संहिता का सिद्घान्त आपराधिक कार्य करने पर संयुक्त दायित्व के सिद्घान्त के संदर्भ में अधिनियमित किया गया है। उक्त धारा साक्ष्य का एक नियम है और किसी सारभूत अपराध का गठन नही करता हैँ। इस धारा के तहत सक्रिय भागीदारी किसी आपराधिक कृत्य को किये जाते वक्त होना इसका विशिष्ट लक्षण है। कई

व्यक्तियो द्घारा आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे व्यक्तियों द्घारा किये गये अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन होता हैँ, यदि ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध करने में शामिल होने वाले व्यक्तियों के सामान्य आशय को आगे बढाने के लिए किया जाता हो। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए इस प्रकार के आशय का अनुमान उपस्थित परिस्थितियों, मामले के साबित तथ्यों और साबित परिस्थितियों से किया जाता है। सामान्य आशय के आरोप को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजनित साक्ष्य से यह साबित करना होगा कि सभी अभियुक्तगण के बीच अपराध कारित करने के लिए कोई पूर्व योजना और मस्तिष्क मिलन विघमान था। उक्त पूर्व योजना तत्क्षणित भी घटित हो सकती है लेकिन यह अपराध के कारित होने से पूर्व होनी चाहिए। इस धारा का वास्तविक अवधारणा यह है कि दो या अधिक व्यक्ति आशय पूर्वक संयुक्तः कोई कृत्य करते हो तो विधिक स्थिति के अनुसार यह माना जायेगा कि उनमें से प्रत्येक ने व्यक्तिगत कार्य किया है । (पेरा 10)(19-डी-एच)

अशोक कुमार बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (1977) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 746 पर अवधारित हुआ।

1.2 उक्त धारा में ना तो सामान्य सभी का आशय के बारे में कहती है नही कहता ना ही सामान्य आशय के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 34 के तहत् दायित्व तब होता है जबकि अपराधियों द्घारा आपराधिक कार्य सामान्य आशय के अग्रसरण में किया हो। धारा 34 मे प्रतिपादित किये गये सिद्घांतों के अनुप्रयोग पर जब एक अभियुक्त धारा 302 सपठित धारा 34 में दोषसिद्घ किया जाता है इसका तात्पर्य यह है कि अभियुक्त उस कृत्य के लिए उसी प्रकार दायी है जिससे कि मृतक की मृत्यु हुई है जैसे कि यह कार्य उसने अकेले ने किया हो। उक्त उपबंध की आवश्यकता ऐसे मामलों में है जहां कई व्यक्तियों द्घारा कोई आपराधिक कार्य अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता हैँ। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के कृत्य को अलग अलग निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने क्या क्या किया। (पेरा 11) (20-सी-ई)

चिंता पुल्ला रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (1993 अनुपूरक 3 134; गिरिजा शंकर बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2004) 4 एससीसी 793- पर आधारित हुआ गया ।

2.1 तीन व्यक्ति उनके उपर तेजाब डालने से आई क्षतियों से पीडित थे। डॉक्टर द्घारा बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक जल गया था जो कि तेजाब से कारित हुई थी और यह मृत्यु

कारित करने के पर्याप्त थी यदि सही समय पर चिकित्सकीय सहायता प्राप्त नही होती। (पेरा 9) (19-सी)

2.2 धारा 307 में दोषसिद्वी के लिए यह आवश्यक नही है कि ऐसी शारिरिक क्षति पहुचायी गयी हो जो मृत्यु कारित करने में समर्थ हो। यद्यपि चोट की प्रकृति जो वास्तविक रूप से आई हो प्रायः अभियुक्त के आशय तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार के आशय को अन्य परिस्थितियों से भी अनुमान लगाया जा सकता है और कुछ मामलों में बिना किसी संदर्भ के भी पता लगाया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कार्य और उसके परिणाम के बारे में यदि कोई हो विभेद करती है। यह भी हो सकता है कि ऐसा कृत्य का कोई परिणाम ना निकला हो लेकिन जहां तक हमला करने वाले व्यक्ति का संबध है अपराधी इस धारा के तहत दायित्वाधीन होगा। यह आवश्यक नही है कि हमले के शिकार हुए पीडित को वास्तव में लगी चोट सामान्य परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण होने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना है कि क्या कार्य उसके परिणाम की परवाह किए बिना आशय या जानकारी के साथ और धारा में उल्लिखित परिस्थिति के तहत किया गया था। अपराधी बनने के प्रयास को अंतिम कार्य नहीं होना चाहिए। ये कानून में पर्याप्त है अगर उसके क्रियान्वयन में कोई प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कोई इरादा मौजूद

हो किया गया कार्य उसके परिणाम की परवाह किए बिना इरादे या जानकारी के साथ और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में किया गया था। (पेरा 13) (21-ए-ई)

महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा पाटिल (1983) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 28 पर आधारित हुआ गया।

2.3 जब अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण किया जाता है तो स्पष्ट रूप से धारा 307 सपठित 34 स्पष्ट रूप से लागू होती है। तेजाब के जलने से विकृति कारित हुई है। विवाद की प्रकृति को देखते हुए अभिरक्षा की अवधि को घटाकर पांच वर्ष किया गया। हालांकि प्रत्येक अपीलकर्ता को 25,000/-रुपए का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया (पैरा 15, 16) (21 एफ-जी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील नं. 176/2008

कलकत्ता उच्च न्यायालय के सी.आर.ए. क्रमांक 17/1995 में अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.5.2007 से।

अपीलार्थी की ओर से आर.एस. सूरी, एस. भोमिक व के.एस. प्रसाद

प्रत्यर्थीगण की ओर से अविजित भट्टाचार्जी

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉक्टर अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती कलकत्ता उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के फैसले को जिसमें कि अपीलार्थीगण की दोषसिद्वी को पुष्ट करते हुए व 12 सहअभियुक्तगण की दोषमुक्ति का निर्देश दिया था, की गई थी। मूल रूप से वर्तमान अपीलार्थीगण सहित 20 व्यक्तियों ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 148, 323, 324 व 307 भारतीय दण्ड संहिता सपठित धारा 149 के तहत विचारण का सामना किया। साक्ष्य लेखबद्व करने के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा 06 व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 232 के तहत दोषमुक्त किया व अन्य 14 दोषसिद्व किए गए।

3.अभियोजन कथानक संक्षिप्त में इस प्रकार हैः

प्रथम सूचना रिपोर्ट हृषिकेश जाना द्वारा 17.01.1992 को यह उल्लिखित करते हुए कराई कि 17.01.92 को जब हृषिकेश जाना अपने खेतों में भूमि जोत रहा था तो अपीलार्थीगण ने सचिन जाना के नेतृत्व में अवैध समूह का गठन किया और विभिन्न आयुधों से सुसज्जित होते हुए

जैसे बम्ब, छडी, चाकू, लोहे की रोड व तेजाब की बोतल हृषिकेश जाना को प्रत्यक्ष परिणाम भुगतने की धमकी दी और ऋषिकेश जाना ने अपने जुताई के काम को नहीं छोडा, अभियुक्तगण ने लात, घूसे व लोहे की रॉड से उस पर हमला किया और तेजाब उसके चेहरे और शरीर पर डाला गया। हृषिकेश जाना ने अपने लिखित परिवाद में अभिकथित किया कि अपीलार्थीगण ने अमूल्य गिरि और कार्तिक मेती पर भी तेजाब डाला और एक अन्य सावित्री गिरि जो कि हृषिकेश जाना को बचाने के लिए आगे आई, पर भी हमला किया। अनुसंधान के उपरान्त आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियुक्तगण ने अपने आपको निराधार फसाया जाना बताया।

4. अपने मामले को आगे बढाने के लिए अभियोजन पक्ष ने परिवादी हृषिकेश जाना और घायल व्यक्ति अमूल्य गिरि, कालीपद मेती सहित 11 गवाहों की जांच की। आरोपी व्यक्तियों ने यह तर्क देने के लिए 03 व्यक्तियों को परीक्षित कराया कि अभियोजन पक्ष सही परिदृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि 17.01.1992 को सचिन जाना और शेष अपीलार्थीगण ने एक गैरकानूनी सभा का गठन करके उस पर हमला किया। जब अभियोजन साक्षी अमूल्य पी.ड.2 व अभियोजन साक्षी कार्तिक पी.ड.3 और सचिन हृषिकेश को बचाने आए थे। आरोपी व्यक्तियों ने

सामान्य आशय साझा किया और अमूल्य के शरीर पर भी एसिड डाला और हमला किया।

5. 14 व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया और प्रत्येक को 10 साल की कैद और 2,000/-रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अन्य अपराधों के लिए भी अलग-अलग सजाऐं दी गईं।

6. विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से अभियोजन साक्षी एक, दो व तीन पर आधारित हुआ जो कि तेजाब डालने से पीडित थे। अपील में उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन साक्षी एक, दो व तीन की साक्ष्य से स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं के द्वारा अपराध किया जाना स्थापित होता है लेकिन 12 सहअभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था। तदनुसार वर्तमान अपीलकर्ताओं से संबंधित अपील खारिज कर दी गई लेकिन सजा को धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता में बदल दिया गया।

7. अपील के समर्थन में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामलों में निराधार आरोप लगाए गए हैं। किसी भी स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध नहीं बनता है और जो सजा दी गई है वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक है।

8. यह भी निवेदित किया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 लागू नहीं होती है।

9. यह ध्यान रखने योग्य है कि तेजाब डालने से 03 लोगों को क्षतियां कारित हुई। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि प्रत्येक आहत व्यक्ति 50% से अधिक जल गया था जो तेजाब के कारण हुआ था और यदि उचित समय पर चिकित्सकीय सहायता नहीं मिलती तो यह मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था।

10. धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्वांत पर अधिनियमित की गई है। यह धारा केवल साक्ष्य का नियम है और कोई सारभूत अपराध का गठन नहीं करती। धारा की विशिष्ट विशेषता कार्यवाही में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधिक कृत्यों के दौरान दूसरे द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है। यदि ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध करने में शामिल व्यक्तियों के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता हो इसलिए ऐसे आशय का अनुमान केवल मामले के साबित तथ्यों और साबित परिस्थितियों से सामने आने वाली परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। सामान्य आशय के आरोप को सामने लाने के

लिए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य चाहे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि जिस अपराध के लिए उन पर आरोप लगाया गया है उसे करने के लिए सभी आरोपी व्यक्तियों के दिमाग में पूर्व योजना व मस्तिष्क मिलन था चाहे यह पूर्व नियोजित हो या क्षणिक लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के घटित होने से पहले होना चाहिए। धारा की वास्तविक अवधारणा यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं तो कानून में स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया हो। जैसाकि अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य (सुप्रीमकोर्ट केसेज 746/1977) में देखा गया। किसी अपराध में भाग लेने वालों के बीच एक सामान्य आशय का अस्तित्व इस धारा के लागू होने के लिए आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध को संयुक्त रूप से करने का आरोप लगाए गए कई व्यक्तियों के कार्य समान या समान रूप से समान हों। कार्य प्रकृति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए उन्हें एक ही सामान्य आशय से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

11. यह धारा "सभी के सामान्य आशय" के बारे में नहीं कहती ना ही "सभी के लिए समान आशय" के बारे में कहती है। धारा 34 के

प्रावधानों के तहत दायित्व का सार एक सामान्य आशय के अस्तित्व में पाया जाना है जो आरोपी को ऐसे आशय को आगे बढाने के लिए आपराधिक कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्वांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप जब किसी अभियुक्त को धारा 34 के साथ पढी जाने वाली धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है कानून में इसका मतलब है कि अभियुक्त उस कार्य के लिए उत्तरदायी है जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई जैसे कि यह अकेले उसी के द्वारा किया गया था। प्रावधान को उद्देश्य ऐसे मामलों की कमी को पूरा करना है जिसमें किसी पार्टी के अलग अलग सदस्यों के कृत्यों के बीच अन्तर करना मुश्किल हो सकता है जो सभी के सामान्य आशय को आगे बढाने में कार्य करते हैं या यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने क्या भूमिका निभाई थी जैसा कि चिंता पुल्ला रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (1993 अनुपूरक (3) 134) में देखा गया। धारा 34 तब भी लागू होती है जबकि विशेष अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट ना पहुंचाई गई हो। धारा 34 आरोपित करने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई प्रत्यक्ष कृत्य दिखाना आवश्यक नहीं है।

12. उपरोक्त स्थिति को गिरिजा शंकर बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 2004(4) सुप्रीम कोर्ट केसेज 793 के मामले में प्रकाश डाला गया।

13. धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता उपबंधित करती हैः

"307. जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाये तो वह व्यक्ति या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जो एतस्मिन पूर्व वर्णित है।"

इस धारा के तहत दोषसिद्वी को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट कारित की गई हो। यद्यपि वास्तव में पहुंचाई गई चोट की प्रकृति अक्सर आरोपी के आशय के बारे में निष्कर्ष निकालने में काफी सहायता कर सकती है। ऐसे आशय का अनुमान अन्य परिस्थितियों से भी लगाया जा सकता है और यहां तक कि कुछ मामलों में वास्तविक घावों के संदर्भ के बिना ही पता लगाया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम यदि कोई हो के बीच अंतर करती है। जहां तक हमला करने वाले व्यक्ति

का संबंध है ऐसे कृत्य का कोई परिणाम नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें अपराधी इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। यह आवश्यक नहीं है कि हमले के शिकार व्यक्ति को वास्तव में लगी चोट सामान्य परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना है कि क्या कार्य उसके परिणाम की परवाह किए बिना आशय या जानकारी के साथ और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत किया गया था। अपराधी बनने के प्रयास को अंतिम कार्य नहीं होना चाहिए। यह कानून में पर्याप्त है यदि उसके क्रियान्वयन में कोई प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कोई आशय मौजूद हो।

14. इस स्थिति को महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा पाटिल 1983 (2) सुप्रीमकोर्ट केसेज 28 में प्रकाश डाला गया।

15. जब अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण किया जाता है तो यह स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 सपठित धारा 307 स्पष्ट रूप से लागू होती है। तेजाब से जलने से विद्रुपीकरण हुआ है।

16. विवाद की प्रकृति को देखते हुए अभिरक्षा की अवधि को घटाकर 05 साल किया जाता है। हालांकि प्रत्येक अपीलकर्ता को 25,000/-रुपए का जुर्माना देने का निर्देश दिया जाता है। यदि अपीलकर्ताओं द्वारा आज से 06 सप्ताह के भीतर राशि जमा करा दी जाती है तो प्रत्येक जमा राशि में

से प्रत्येक पीडित अभियोजन साक्षी एक, दो, तीन को 10,000/-रुपए का भुगतान किया जायेगा। अधिरोपित जुर्माने की राशि जमा ना कराए जाने पर व्यतिक्रम में प्रत्येक को 01 वर्ष के कारावास की सजा अधिरोपित की जाती है।

17. अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गिरिजा भारद्वाज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।